पत्रांक–7/लो0स्वा0प्रयो0–22–01/2012 54(7)9

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

1) निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
2) लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर।
3) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सहरसा।

पटना, दिनांक : 17-10-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–107–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐं–0001–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐं विपत्र कोड– N2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 47,95,400/– (सैतालीस लाख पंचान्वे हजार चार सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0– 21(7)ब दिनांक–27.4.12, 42(7)ब दिनांक–7.9.12 तथा मांग पत्र के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 47,95,400/– (सैतालीस लाख पंचान्वे हजार चार सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–107–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐं–0001–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐं विपत्र कोड– N2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर /जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, सहरसा के सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

17/10/2012

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

17/X/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 54(70a पटना, दिनांक : 17-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रंधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर,स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

17/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	1050000	703500	157500	8000	7350	12600	1938950	6000	1944950	776/3.9.12
2	जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	550000	368500	82500	0	3850	6600	1011450	0	1011450	81/11.9.12
3	सदर अस्पताल, सहरसा	1000000	670000	150000	0	7000	12000	1839000	0	1839000	1057/7.9.12
	कुल	**2600000**	1742000	**390000**	**8000**	**18200**	**31200**	**4789400**	**6000**	**4795400**	

(सैतालीस लाख पंचान्वे हजार चार सौ) रू0 मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

5477a
17-10-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	16891000	12897000	2600000	15497000	1394000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	11317000	8640990	1742000	10382990	934010
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	3114000	1934550	390000	2324550	789450
4	परिवहन भत्ता (01–05)	410000	18500	8000	26500	383500
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	173000	90236	18200	108436	64564
6	अन्य भत्ता (01–07)	845000	154764	31200	185964	659036
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**32750000**	**23736040**	**4789400**	**28525440**	**4224560**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	100000	0	0	0	100000
8	यात्रा व्यय (11–01)	110000	55000	0	55000	55000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	240000	120000	6000	126000	114000
10	विधि प्रभार (13–05)	100000	11000	0	11000	89000
11	वर्दी / पोषाक (13–06)	80000	40000	0	40000	40000
12	किराया महसूल एवं कर (14–01)	100000	80000	0	80000	20000
13	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	100000	50000	0	50000	50000
14	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	100000	30000	0	30000	70000
	कुल योगः–	33680000	24122040	4795400	28917440	4762560

5417/व
17-10-12

सरकार के संयुक्त सचिव